

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

सुनील चौधरी,
निदेशक (अनुश्रवण)
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बक्सर/लखीसराय।

दिनांक-.....2020

विषय:- राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत वित्तीय वर्ष-2019-20 में दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 30.12.2019 तक वाल्मी, पटना में आयोजित भवन निर्माण विभाग के नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (Civil) के लिए Induction Course प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना का पत्रांक:-1176/वाल्मी, पटना, दिनांक:-31.12.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा नामित नवनियुक्त कनीय अभियंता श्री मो0 अरशद आयुब, भवन प्रमंडल, बक्सर तथा श्री रितेश कुमार, भवन प्रमंडल, लखीसराय संचालित Induction Course प्रशिक्षण दिनांक:-16.12.2019 से दिनांक:-30.12.2019 तक वाल्मी पटना में भाग नहीं लिया।

अतः नव नियुक्त कनीय अभियंता श्री मो0 अरशद आयुब, तथा श्री रितेश कुमार, स्पष्ट करें कि संचालित प्रशिक्षण में भाग क्यों नहीं लिये ? इस संबंध में पत्र प्राप्ति के पश्चात् अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील चौधरी)

निदेशक (अनुश्रवण)

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 26.02.2020

ज्ञापांक:- 34

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निदेशित।

(सुनील चौधरी)

निदेशक (अनुश्रवण)

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

5/2/2020